



प्रेस नोट

थाना स्योहारा

दिनांक 24.03.2023

थाना स्योहारा पुलिस व स्वाट टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में प्रदेश स्तर का माफिया शातिर अपराधी आदित्य के 04 साथी 02 तमंचे 315 बोर, 10 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस, 02 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि प्रदेश स्तर के शातिर माफिया आदित्य राणा पुत्र राजपाल नि0 ग्राम राना नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर की गिरफ्तारी हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2.5 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। मा0 न्यायालय बिजनौर द्वारा शातिर अभियुक्त आदित्य राणा पंजीकृत विभिन्न मामलो मे गिरफ्तारी वारण्टी जारी किये गये है। बिजनौर पुलिस उसकी व उसके साथियों की गिरफ्तारी लगातार प्रयास कर रही है।



कार्यवाही-

आज दिनांक 24.03.2023 को सुबह करीब 04:30 बजे थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा शातिर अपराधी आदित्य राणा उपरोक्त के परिचित /सहयोगी /रिश्तेदारो आदि के यहाँ आदित्य के सम्बन्ध मे जानकारी कर रहे थे। मुखबिर द्वारा सूचना दी कि शातिर अपराधी आदित्य राणा को सिम, मोबाईल व खाने-पीने का सामान उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति बेरखेडा से बहादुरपुर सत्तोनंगली रोड नियामताबाद मोड के पास जंगल मे बैठे हुये है तथा सभी सामग्री उसके पास पहुँचाने की योजना बना रहे है। सूचना पर पहुँची पुलिस टीम पर वहाँ पर बैठे बदमाशों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा सूझ-बूझ से जवाबी फायरिंग करते हुए सिखलाए गए तरीके से घेराबंदी कर 04 अभि0गण को 02 तमंचे, 10 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया तथा इनका अन्य 01 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। शातिर अपराधी आदित्य व उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिये प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण:-

अभि०गण द्वारा पूछताछ में बताया कि उनके साथ से 01 व्यक्ति जो व्यक्ति भाग गया है वह उनको आदित्य राणा के बताये स्थान पर ले जाने वाला था। वह आदित्य से मिलकर सिम,मोबाईल व खाने-पीने का सामान उपलब्ध कराने वाले थे। भागा हुआ व्यक्ति का नाम पता पूछने पर बताया कि वह उनको आज ही मिला था, उसके नाम व पते की जानकारी आदित्य को ही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- 1- राजेश पुत्र फूल सिंह नि० ग्राम रतनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 2- निक्की पुत्र पुरन सिंह नि० ग्राम बमनौली उर्फ ड्यूडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
- 3- जयकुमार पुत्र बृजपाल नि० ग्राम सलेमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।
- 4- अनुराग पुत्र राजवीर नि० ग्राम भगवानपुर रैनी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 तमंचे 315 बोर, 10 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
2. 02 चाकू नाजायज।
3. 04 मोबाईल टच स्क्रीन मय सिम कार्ड।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 148/23 धारा 307/332/353 भादवि व 3/25 व 4/25 शस्त्र अधि० थाना स्योहारा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० प्रशान्त सिंह थाना स्योहारा
- 2- उ०नि० श्री कुंवरपाल सिंह थाना स्योहारा
- 3- उ०नि० श्री रोविन सिंह थाना स्योहारा
- 4- उ०नि० श्री जयवीर सिंह स्वाट टीम
- 5- उ०नि० श्री संजय तोमर स्वाट टीम
- 6- उ०नि० श्री शौकत अली स्वाट टीम
- 7- हे०कां० बेताव जावला स्वाट टीम
- 8- हे०का० 360 ब्रजपाल सिंह थाना स्योहारा
- 9- हे०का० 478 उमेश थाना स्योहारा
- 10- हे०का० 385 राजीव थाना स्योहारा
- 11- कां० मोनू कुमार स्वाट टीम
- 12- कां० अरुण कुमार स्वाट टीम
- 13- कां० अनिल कुमार स्वाट टीम
- 14- कां० हरेन्द्र कुमार स्वाट टीम
- 15- कां० सुनित स्वाट टीम
- 16- कां० मोहित सर्विलांस सैल
- 17- का० 96 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा
- 18- का० 1310 बोबी थाना स्योहारा
- 19- का० 1999 सतपाल थाना स्योहारा



प्रेस नोट

थाना नूरपुर

दिनांक-24.03.2023

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23.03.2023 को 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र राकेश कुमार नि० मौ० रामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु०अ०सं०-119/15 धारा 304ए/279 भादवि० थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री जोगेन्द्र बैसला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. म०का० 626 शिखा वर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट
थाना नूरपुर

दिनांक-24.03.2023

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23.03.2023 को 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अभि० संजीव उर्फ संजय पुत्र भूदेव सिंह
नि०ग्राम फीना थाना शिवाला कला जिला बिजनौर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 242/11 धारा- 363/366/376 भादवि० व 3/4 पॉक्सो अधिनियम थाना नूरपुर
जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

3. उ०नि० श्री गौरव कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. का० 1226 मोनू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।